DoIT

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः–एफ.8(390)/डी.ओ.आई.टी./जनरल/2020/05618/2020

जयपुर,दिनांकः– 14-12-2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत/पदस्थापित कनिष्ठ सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है :–

क्र स	मेरिट/ रोल नं	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	424	श्री महेन्द्र सिंह इन्दा, कनिष्ठ सहायक	जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला जोधपुर ।	(i) RSSB-Investigator Exam-2019, Patwar-2019 (ii) RSSB-Forester & Forest Guard-2020 (iii) SSC CHSL- 2020
2	5425	श्री रविन्द्र आर्य, कनिष्ठ सहायक	जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला बून्दी ।	(i) RSSB-Investigator Exam-2019, Patwar-2019
3	7955	श्री गोपाल गुर्जर, कनिष्ठ सहायक	जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, बीकानेर।	(i) RSSB-Patwar-2019

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः–

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
3. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारण वश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

Sd

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी(यू.आई.डी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. संबधित विभागाध्यक्ष......................................।
2. संबधित कर्मचारी...।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

14/12/20

प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)